

नगर पालिका, लालसोट

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/LALSOT/FIRENOC/2023-24/26945

जारी दिनांक: 27-FEB-2024

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: LOKESH KUMAR MEENA

आवेदक का पता: B - 68 SHANKAR VIHAR, JAGATPURA, JAIPUR 302004

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन BRIGHT PUBLIC SCHOOL, 1, SAWAIMADHOPUR ROAD, LALSOT, LALSOT, DAUSA, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

- अग्निशमन यन्त्रों को सदैव चालू हालत में रखने होंगे
- अग्निशमन उपकरणों की समय समय पर रिफिलिंग एवं टैस्टिंग करवानी होगी
- प्रशिक्षित कर्मचारियों को रखना होगा
- प्रतिवर्ष फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना अनिवार्य है
- आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेजों की सत्यता एवं वैधता के लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार रहेगा
- आवेदक को स्वयं के द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र में अंकित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करनी होगी शपथ पत्र में अंकित बिन्दु की पालना नहीं होने पर स्वयं आवेदक उत्तरदायी होगा अग्निशमन उपकरणों की कमी खराबी, प्रशिक्षित स्टाफ नहीं होने पर आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी
- भवन में किसी भी प्रकार से अग्नि दुर्घटनाओं की स्थिति में स्वयं आवेदक जिम्मेदार रहेगा अग्नि दुर्घटना की स्थिति में नगर पालिका की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी
- उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र अग्निशमन के लिये है यह किसी प्रकार के भू उपयोग परिवर्तन/नियमन/निर्माण स्वीकृति के लिये नहीं है न ही उक्त एवं अन्य प्रयोजनार्थ मान्य होगी
- भूमि एवं भवन सम्बन्धित किसी भी विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा
- उक्त फायर अनापत्ति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष तक के लिए मान्य होगी।



अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, लालसोट